RAJYA SABHA

Friday, the 11th May, 1990/21 Vaisakha, 1912 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIOS

*141. [*The questioner (Shri Suresh Pachouri) was absent. For answer vide col. 33 to 36 infra.*]

समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों को अधिक जोखिम-सुरक्षा-राशि का दिया जाना

*142. **डा० एन० तुलसी रेड्डी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में, देश में पत्रकारों पर हमलों की बढ़ती हुई वारदातों के सन्दर्भ में समाचार-पत्रों और समाचार एजेन्सियों के कर्मचारियों को अधिक जोखिम सुरक्षा-राशि दिये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

जैसा कि न्यायमूर्ति यू०एन० बछावत की अध्यक्षता में श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारी मजदूरी बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया है, सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है जो, अन्य बातों के साथ-साथ, पत्रकारों/गैर-पत्रकार कर्मचारियों के बारे में सुरक्षा मसलों की जांच करेगी तथा उपयुक्त सिफारिशें करेगी । रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही सरकार उस पर विचार करेगी ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Sir, right to get information is a fundamental right. It is vital for the proper functioning of democracy. The National Front Government is committed to it, but the journalists must have freedom and security to give correct information freely and frankly. Its importance has increased recently due to investigative journalism regarding the Bofors scandal, the Airbus scandal, land grabbing, etc. Attacks, atrocities and assaults on and harassment of journalists and their family members have been increasing day by day. So, there must be a two-pronged approach: one is providing for safety of the journalists and the other is taking stringent and deterrent action against the guilty. The Minister has stated that an Expert Committee has been set up. I would like to know from the Minister as to when the Expert Committee was set up, who are the members of the Expert Committee, what are the guidelines for the Expert Committee and if there is any time limit set for the Expert Committee to submit its report.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण 7-11-89 को किया गया था । श्री ईश्वरी प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं, जो भारत सरकार के सेवा-निवृत्त सचिव रह चुके हैं और इसके अलावा कमेटी में चार और सदस्य हैं ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Is there any time limit to submit the report?

श्री प्रमोद महाजन : सब सदस्यों के नाम तो बता दें ।

श्री सभापति : सब सदस्यों के नाम बता दीजिये, पांच ही तो हैं । दूसरे कब तक रिपोर्ट दे देंगे, कोई समय निर्धारित किया गया है ?

श्री राम विलास पासवान : इसका समय 6 महीने के लिये निर्धारित किया गया है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस बीच में सरकार

बदल गयी और जो इसके अध्यक्ष थे, उनको भी यह लग रहा था कि शायद वह रह पायेंगे या नहीं रह पायेंगे, इन्हीं कारणों से उसका समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। वैसे 6 महीने का आर्डर दिया है, लेकिन हमने कहा है कि तीन महीने में रिपोर्ट आ जाये।

श्री सभापति : बाकी मैम्बरों के नाम भी बता दीजिये।

श्री राम विलास पासवान: बाकी मैम्बरों के नाम भी बताता हूं, इतने दूसरा सवाल पूछ लें।

श्री प्रमोद महाजन : समिति में पांच ही तो सदस्य हैं, उनका नाम बताने में देरी क्यों?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी: यह हालत है इस गवर्नमेंट की। (व्यवधान)

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Sir, second supplementary. Is there any proposal...

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, सिर्फ पांच सदस्यों के नाम ही तो बताने हैं, वे बता दें।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: That is why I call it "National Flop Government."

MR. CHAIRMAN: You put your second supplementary. In the meantime he will get the information.

श्री राम विलास पासवान: मेरे पास गजट है। मैं गजट से पढ़कर बता देता हूं। श्री ईश्वरी प्रसाद सेव निवृत्त इसके अध्यक्ष हैं और श्री एन बी० कृष्णा, कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र सदस्य हैं और दूसरे सदस्य हैं, श्री एस के पार्थसारथी, अवर सचिव, कार्मिक विभाग और तीसरे सदस्य हैं, श्री हरमिन्दर सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा आर्गनाइजेशन और चौथे सदस्य हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के एक प्रतिनिधि श्री मनोहर सिंह को इसमें रखा है, जिससे कार्य तेजी से चल सके।

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Regarding the guidelines, Sir?

श्री राम विलास पासवान: जहां तक गाइड लाइन्स का सवाल है, बछावत कमेटी ने तो सिफारिश की थी और एक उन्होंने सुझाव भी दिया था। उसके तहत एक अनुसंशा थी और एक सुझाव भी था। उसी सुझाव के तहत गाइड-लाइन्स भी हैं। इसमें भारत सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के मसले, समाचार पत्रों के पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिये चिकित्सा भत्ता, छुट्टी रियायत, समयोपरि भत्ता आदि सम्मिलित हैं। इन बातों की जांच करने के लिये विशेषज्ञों की समिति गठित की गयी हैं।

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Is there any proposal by the Government to implement a scheme entitling journalists to draw pension after retirement? Is there any proposal for insurance coverage?

श्री राम विलास पासवान : इसमें मुख्य मुद्दा इन्श्योरेन्स का ही है। अभी तक इन्श्योरेन्स का प्रावधान नहीं था। इस बारे में रिपोर्ट आयेगी, तो सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी।

श्री सभापति : पेंशन के बारे में क्या है?

श्री राम विलास पासवान: यह अलग से प्रश्न है। जब यह आयेगा, तो बतला देंगे।

श्री सभापति : अभी कमेटी के सामने यह प्रश्न नहीं है।

SHRI KAPIL VERMA: Sir, first I want to know how many meetings this Committee has held, because I am told that this Committee has not met at all.

And (b), because of the increasing attacks on journalists, will the Government issue any detailed guidelines to the State Governments to issue instructions to the District Magistrates and the Superintendents of Police and others to provide proper security to journalists when they move because the attacks are increasing and officials also beat up journalists? So, will the Government issue some strict instructions about this?

श्री राम विलास पासवान : मेरी जानकारी के अनुसार चार बैठकें की थी और जहां तक इंस्ट्रक्शन्स का सवाल हैं, चाहे जर्नलिस्टस का मामला हो या आम आदमी का मामला हो, उसकी सुरक्षा करना सरकार का धर्म हो जाता हैं । निश्चित रूप से हम सरकारों को लिखेंगे ।

श्री कपिल वर्मा: कोई स्टेंडिग इंस्ट्रक्शन्स आपने उनकी प्रोटेक्शन के लिये इशू की हैं ?

श्री राम विलास पासवान : अगर नहीं हुआ तो हम कर देंगे, लिख देंगे । वैसे मंत्रालय की तरफ से लिखा गया है । आप चाहते है कि स्टेंडिग आर्डर्स सकूलर की तरह भेजे जायें तो उसको हम देख लेंगे और यदि नहीं लिखा गया होगा तो लिख देंगे ।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : मंत्री महोदय जानते हैं कि बछावत कमीशन की जो रिकमेंडेशस थीं उनको अखबारों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ नहीं करती हैं । इसी तरह से जरनेलिस्टस पर हमला होता हैं तो स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है । मेहम में क्या हुआ, और अभी कल ही उड़ीसा में अखबार का दफ्तर बन्द कर दिया गया हैं। अखबार तो रोज निकलता है । उसके कुछ किताब वगैरह ले जाते तो दूसरी बात थी, लेकिन दफ्तर को सील कर दिया गया है । ऐसे मामलों में स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करती हैं । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट कम्पलसरी तौर पर स्टेट गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेने के लिये क्या कहती है ?

श्री राम विलास पासवान: माननीय सदस्य ने ला एंड आर्डर का मामला उठाया हैं । ला एंड आर्डर के तहत राज्य सरकार की जवाबदेही होती हैं । चाहे जर्नलिस्टस के ऊपर कोई हमला हो या किसी के ऊपर भी कोई हमला हो या ज्यादती हो तो निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही करना चाहिये । जहां तक भारत सरकार का मामला है, भारत सरकार की वही नीति हैं कि हमारा जो श्रम मंत्रालय हैं उसके अन्तर्गत वह नहीं है, लेकिन हमने आने के बाद इसको देखा हैं, अपनी ओर से लिखा हैं और भारत सरकार के एक मंत्री की हैसियत से काम किया है ।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल: अगर स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट न करे तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिये क्या करेंगे ?

श्री राम विलास पासवान: इस बारे में लेबर मिनिस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं ?

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : अगर बछावत कमेटी की रेकमेंडेशसन्स को वे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो कोई दूसरी बाडी बनाइये जो इसको कम्पलसरी इम्प्लीमेंट करवाये ।

श्री राम विलास पासवान : जहां तक बछावत कमेटी की रेकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कराने का मामला हैं वह दूसरा प्रश्न है । उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आलरेडी निर्णय दे दिया था 30 जनवरी को और उसने कहा है कि 21-12-89 तक जो बकाया है उसका 50 प्रतिशत पेमेंट कर दें । इसके बाद उसने वह भी कह दिया है कि उस दिन के बाद से उसको लागू करें । फिर उसने वह भी कहा है कि तीन महीने के अन्दर इसको लागू कर दिया जाना चाहिये । उसके बाद उसने यह भी कहा कि इस बीच में कोई कार्यवाही उसके खिलाफ

में नहीं की जा सकती है। मैं समझता हूं कि तीन महीने अप्रैल में खत्म हो गये हैं। लेकिन वह प्रश्न का दूसरा दायरा है।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: As in keeping with the National Front Government—I am not saying National Flop Government, I am saying National Front Government...

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: All insinuations he will be making.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Yes, Sir. (*Interruptions*) I said I did not say National Flop Government.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: I know you will be making all insinuating remarks.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I did not say anything.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: You have said it.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: This is my plight. I cannot ask questions here. You can imagine in Tamil Nadu what can they reply to journalists. Apart from recommendations of this Committee, I would like to know whether the Government has any other proposal because the attacks on journalists are continuing. I also learn from my own sources that this Committee is going to look at the attacks on journalists and non-journalist employees by sources other than the State Government. The question is where the State Government itself harasses the newspapers, how to go about it? I would like to know whether the Government has any idea. I give you an example. In Tamil Nadu—please restrain yourselves—there is a newspaper called *Dinasari*. It published a statement by a Congress (I) MP making some accusations about the traffic accidents in which Miss Jayalalitha was involved. And the State Government... (*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY: That was a malicious campaign.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: The State Government has filed cases against the newspaper.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATARAMAN: What is the relevance of this to the question, Sir? (*Interruptions*) It is all irrelevant, Sir.

SHRI V. GOPALSAMY: He has not asked any question. He is inacpable ot putting any question.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Because you are incapable of answering questions, I have difficulty in posing questions. (*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY: You should not try to poison...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: What poison?

SHRI V. GOPALSAMY: Sir, he has become an advocate of Jayalalitha here.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: That lady needs an advocate like me.

MR. CHAIRMAN: Don't answer their questions please.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: *Can't you restrain them? It is not Tamil Nadu Assembly where they can assault.*

The question is whether the Central Government has asked this Committee in the terms of reference to suggest measures by which newspapers can be given security and protection in the event the State Government decides to take action on certain matters concerning newspapers. The question is, risk is involved not only from the other people but from the State Governments also encroaching on the press freedom. That is why I gave you the example.

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, मैंने पढ़ कर के सुझाव दिया इस संबन्ध में जो गजट नोटिफिकेशन है वह है कि इस संबंध में अध्ययन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति बनाई

गई है । सुरक्षा उपायों के साथ-साथ जोखिम और खतरे के लिये बीमा का प्रावधान किया जाना चाहिये । इसके साथ ही समाचारपत्र प्रतिष्ठानों पर व्यय पर कर्मचारियों के साथ-साथ उनके आश्रितों का चिकित्सा बीमा करने के लिये प्रावधान किया जाना चाहिये । मजदूरी, समयोपरि पद्धति और अदायगी की समिति के द्वारा अध्ययन करने का सुझाव दिया गया हैं तदनुसार भारत सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य कर्मकारो जिसमें समाचारपत्र प्रतिष्ठानों और न्यूज एजेंसी के लिये पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिये चिकित्सा भत्ता छुट्टी यात्रा रियायत समयोपरि भत्ता शामिल है, की जांच करने के उद्देश्य से एक *विशेषज्ञ समिति का गठन* करने का तथा सरकार से उपयुक्त सिफारिश करने का निर्णय लिया हैं ।

कुमारी आलिया: मेरा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है ।

Minimum price of agricultural land

*143. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Admiinstration have recently fixed the minimum price of the agricultural land acquired by it:

(b) if so, what are the details thereof:

(c) whether Government have also fixed the maximum price of residential plots to protect the interests of the common man;

(d) if so, what are the details thereof;

(e) if not, what are the reasons therefor; and

(f) by when the maximum price of the same is likely to be fixed?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) The Delhi Administration have with effect from 27th April, 1990 fixed minimum price of agricultural land at Rs. 4.65 lakhs per acre (Rs. 1.5 lakh per acre for land in the river bed enclosed between the forward bunds) for the purposes of registering transactions in respect of agricultural lands. This will be the basis for calculating the amount of compensation under the Land Acquisition Act, when such land is notified for acquisition. Besides, 30 per cent solatium and other benefits provided under the Land Acquisition Act, would also be payable.

(c) to (f) No, Sir. The fixation of prices of residential plots would depend upon the cost of the land to be acquired in future and the cost of development.

श्री राम नरेश यादव: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने जो प्रश्न किया था उसका स्पष्ट उत्तर जानबूझ कर नहीं दिया, ऐसा मुझे लगता है । मैंने पूछा था क्या यह क्या सच कि दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में अपने द्वारा अधिगृहीत कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया है । इसके उत्तर में आपने कहा है कि दिल्ली प्रशासन ने कृषि भूमि के बारे में सौदों के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ 27 अप्रैल, 1990 से कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य 4.65 लाख रुपये प्रति एकड़ (फारवर्ड बन्धों के साथ लगे हुये नदी तल के लिये 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़) निर्धारित किया है । महोदय प्रश्न यह है कि दिल्ली में जिस तरह से आबादी का बोझ बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरह से सारे क्षेत्रों में मंहगाई बढ़ती चली जा रही है ऐसी स्थिति में किसान की जमीन की भी मालियत और उसको जो पैसा मिलना चाहिये उसका भी बढ़ना स्वाभाविक है । दिल्ली में करीब 360 गांव है । जिस तरह से किसानों की जमीन अधिगृहीत की जा रही है उससे जो किसान का शोषण हो रहा है उस शोषण से लगता है कि दिल्ली में अलग से एक अभिजात्य वर्ग को प्रश्रय देने के लिये किसान का